कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः–

दिनांकः–

–: कार्यालय आदेश :–

न्यास को सिंचाई भवन की भूमि मिनी सचिवालय भवन के निर्माण में होने वाले व्यय के बदले न्यास को प्राप्त हुई है। इस योजना का व्यावसायिक ले–आउट प्लान मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) द्वारा दिनांक 28.05.2018 व 04.06.2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त ले–आउट प्लान का रैरा में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आवेदन किया गया। जिसमें रैरा द्वारा ले–आउट प्लान को न्यास स्तर पर स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.04.2021 के द्वारा मुख्य नगर नियोजक एन.सी.आर. द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान को दिनांक 04.06.2018 को यथावत ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांकः 2007–11/21

दिनांक : 07/05/21

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर।
2. प्रभारी अधिकारी (आवंटन), नगर विकास न्यास, अलवर।
3. उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सम्पादित करावें।
4. अधिशाषी अभियन्ता (सम्बन्धित क्षेत्र), नगर विकास न्यास, अलवर।
5. रक्षित पत्रावली।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान,
नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
टेलीफेक्स – 0141–2561377, ~~[illegible]~~
E mail: ncrsyf@gmail.com.

क्रमांकः टीपीआर/एनसीआर/अलवर/सामान्य/5/2017/347– दिनांकः – 1 JUN 2018

सचिव,
नगर विकास न्यास
अलवर।

विषयः– सिंचाई भवन से प्राप्त भूमि का व्यावसायिक ले आउट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ–2/आयोजना/4709/18 दिनांक 28.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक योजना का मानचित्र कार्यालय उप नगर नियोजक अलवर के हस्ताक्षर सहित आप द्वारा भिजवाया गया जिसे इस कार्यालय द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रति में संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृपया नगर विकास न्यास के स्तर पर यह सुनिश्चित करावें की भुखण्डों का सीमॉकन नियमानुसार किया जावे एवं भिन्नता की स्थिति में आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पालना न्यास स्तर पर सुनिश्चित की जावे। समस्त दुकाने केवल भू तल (अधिकतम–सडक तल से 4.5 मी0) उँचाई देय होगी। व्यवसायिक भुखण्डों में सैट बैक्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखे जाने होगें।

प्रर्यावरण सुरक्षा की द्रष्टि से प्रस्तावित ग्रीन एरिया, मौके पर मौजूद कुँआ एवं बडे वृक्ष जो की निर्माण में बाधक न हो उनका संवर्धन व संरक्षण नगर विकास न्यास द्वारा किया जाना होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

1.6.2018

(अनिल पथरिया)
मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर/एनसीआर/अलवर/सामान्य/5/2017 दिनांकः

प्रतिलिपि :– उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।

(अनिल पथरिया)
मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर),
राजस्थान, जयपुर।

E:\00 NCR CELL DATA (5.12.14)\...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान,
नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
टेलीफेक्स – 0141–2561377, Email: ncrsrp@gmail.com

क्रमांकः टीपीआर / एनसीआर / अलवर / सामान्य / 5 / 2017/351 दिनांकः 4 JUN 2018

सचिव,
नगर विकास न्यास
अलवर।

विषयः– सिंचाई भवन से प्राप्त भूमि का व्यावसायिक ले आउट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ–2 / आयोजना / 4709 / 18 दिनांक 28.05.2018 एव इस कार्यालय का पत्र क्रमांक टीपीआर / एनसीआर / अलवर / सामान्य / 5 / 2017 / 347–348 दिनांकः 01.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि इसका कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.06.2018 द्वारा आपके कार्यालय से प्राप्त व्यवसायिक ले आउट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें प्रथम पैरा में उल्लेख है कि "समस्त दुकानें केवल भू तल (अधिकतम – सडक तल से 4.5 मी0) उँचाई देय होगी", सहवन से लिखा गया है। जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। "समस्त दुकानों हेतु देय उँचाई एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार रखी जानी होगी एवं इस हेतु समस्त दुकानों के लिये नगर विकास न्यास स्तर पर टाईप डिजाइन तैयार करवायी जाकर तदानुसार ही दुकानों के निर्माण सुनिश्चित किये जावे, ताकि योजना में एक रूपता बनी रहें।"
उक्त संशोधन को मूल पत्र दिनांक 01.06.2018 का भाग माना जावे।

4.6.2018

(अनिल पथरिया)
मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर / एनसीआर / अलवर / सामान्य / 5 / 2017 दिनांकः

प्रतिलिपि :– उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।

(अनिल पथरिया)
मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर),
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

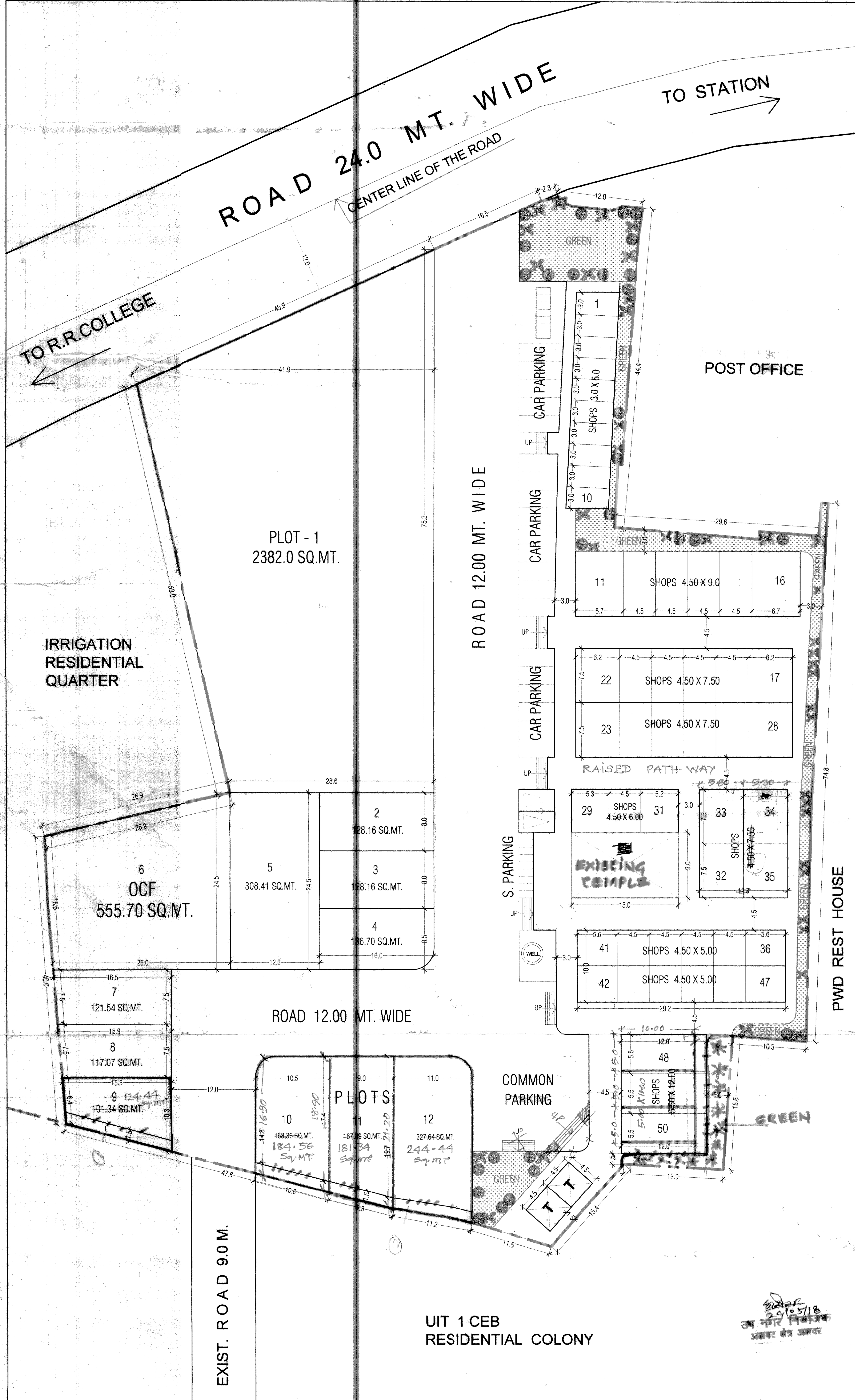

ALWAR

AREA STATEMENT :-

S. NO.	USE	AREA (SQMT.)	%
1.	PLOT. -1	2382.00	21.66
2.	PLOTS/SHOPS	3294.00	29.97
3.	O.C.F./ ~~[illegible]~~ / FACILITY/ EXISTING TEMPLE	731.20	06.65
4.	ROADS / FOOTHPATH/ PARKING/ GREEN	4587.80	41.72
5	TOTAL LAND AREA	10995.00	100.00

DETAIL OF SHOPS :-

S. NO.	SIZE OF SHOPS (MT.)	NO. OF SHOPS
1.	~~5.50 X 12.00~~ 5 X 10	03 NOS
2.	4.50 X 9.00	06 NOS
3.	4.00 X 7.50	16 NOS
4.	4.50 X 6.00	03 NOS
5.	4.50 X 5.00	12 NOS
6.	3.00 X 6.00	10 NOS
	TOTAL	50 NOS

नोट :-

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 347 दिनांक 1.06.18 के द्वारा व्यवसायिक योजना मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया।
2. योजना में भवन मापदण्ड "एकीकृत भवन विनियम 2017" के अनुसार होंगे।
3. समस्त कार्नर भूखण्डों के रेडियस नियमानुसार रखे जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. समस्त दुकानों की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मी. होगी।

01-06-18
अग्रवाल
सहायक नगर नियोजक

रवि राय वर्मा
वरिष्ठ नगर नियोजक (NCR)

1.6.2018
अनिल पथरिया
मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.)

U.I.T.
ALWAR

LAY-OUT PLAN OF COMMERCIAL LAND (IRRIGATION OFFICE) IN 1 C.E.B. (MADHU VAN) SCHEME NEAR RAILWAY STATION ALWAR

DRN. BY | CHECKED. BY | SCALE :- 1: 350

ATP U.I.T. ALWAR | DTP U.I.T. ALWAR | SECRETARY. U.I.T. ALWAR

URBAN IMPROVEMNT TRUST ALWAR